

पत्र संख्या-स्था0-1-पारिणामिक ज्येष्ठता सूची-2009-10-
प्रेषक,

2924

/वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 26 अक्टूबर, 2010

महोदय,

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सं0वि0क0नि0-1-2080/11-2010-160/10 दिनांक 21-10-2010, सं0वि0क0नि0-1-2081/11-2010-160/10 दिनांक 21-10-2010, सं0वि0क0नि0-1-2082/11-2010-160/10 दिनांक 21-10-2010 एवं सं0वि0क0नि0-1-2083/11-2010-160/10 दिनांक 21-10-2010 द्वारा क्रमशः एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, ज्वाइन्ट कमिश्नर तथा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर की शासकीय अधिसूचना दिनांक 14-9-2007 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अनन्तिम पारिणामिक ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अन्तिम रूप से पारिणामिक ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गई है। शासन द्वारा निर्गत पदवार पारिणामिक ज्येष्ठता सूची की प्रतियाँ समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 को मेल की जा चुकी है तथा विभागीय वेबसाईट WWW Comtax. up.nic.in पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ तैनात उक्त ज्येष्ठता सूची के सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत/प्राप्त कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0एस0बुधियाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
संवि०कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
संख्या-संवि०कर-1-2080/11-2010-160/10
लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2010

-:कार्यालय ज्ञाप:-

विषय:- एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य-कर की पारिणामिक ज्येष्ठता सूची।

उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली-2007, दिनांक 14-9-07 के प्राविधानों के क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं०-संवि०कर-1-1442/11-2010-160/2010, दिनांक 26-7-2010 के द्वारा एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 के पदों हेतु अनन्तिम पारिणामिक ज्येष्ठता सूची प्रसारित करते हुए दिनांक 2-8-10 तक आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये। एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध केवल 01 आपत्ति प्राप्त हुई।

2- संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उ० प्र० द्वारा उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में संशोधन करके उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली-2007, दिनांक 14-9-07 निर्गत की गयी है। ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-8 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम-8 क बढ़ाया गया है।

“8 क-इस नियमावली के नियम-6, 7 व 8 में किसी बात के होते हुये भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर अपनी पदोन्नति पर पारिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों से भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति को बाद में पदोन्नति होने पर पूर्व में पदोन्नति हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों से ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ रखे जायेंगे, भले ही पदोन्नति आरक्षण के नियम के आधार पर हुई हो।”

3- उक्त ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-9 (1) में यह व्यवस्था है कि नियमावली के उपबन्धों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी। नियम-9(3) में यह व्यवस्था है कि नियमावली के शक्तिमत्ता या विधि मान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

4- कार्मिक विभाग के अर्द्धशा० पत्र सं०-13-2-91-टी०सी०-का-1-08, दिनांक 1-4-08 के द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता सूची के संबंध में उत्पन्न होने वाली सामान्य जिज्ञासायें एवं इनके समाधान के संबंध में जारी दिशा निर्देश के बिन्दु सं०-15 में सभी पदों की पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूचियाँ निर्गत किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी है तथा बिन्दु सं०-16 में पदोन्नति विषयक प्रत्येक चयन को एक इकाई मानकर ज्येष्ठता सूची में संशोधन की आवश्यकता बतायी गयी है। बिन्दु सं०-16 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ऐसी प्रोन्नति, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने की दशा में ज्येष्ठता सूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार पदोन्नति विषयक प्रत्येक चयन को एक इकाई मानकर ज्येष्ठता सूची में संशोधन आवश्यक होगा। चयन वर्ष 2008-09 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 14-9-07 के क्रम में अलग-अलग पदों की पारिणामिक ज्येष्ठता दिनांक 17-6-95 से प्रभावी करते हुए निर्गत की गयी थी। चयन वर्ष 2009-10 में एडिशनल कमिशनर ग्रेड-1 के पद पर सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भी पदोन्नति प्रदान की गयी है। अतः उक्त उल्लिखित बिन्दु-16 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चयन वर्ष 2009-10 को इकाई मानते हुए





अधिसूचना दिनांक 14-9-07 के प्राविधानों के अनुरूप एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के पदों की पारिणामिक ज्येष्ठता तैयार की जा रही है।

5- अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संदर्भ में प्राप्त आपत्ति/प्रत्यावेदन का निस्तारण उपरोक्त प्रस्तर-2 में अंकित नियम के आधार पर निम्नवत् रूप से किया जाता है :-
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण

क्र० सं०	नाम	आपत्ति संख्या एवं दिनांक	आपत्ति का विषय	निस्तारण आख्या
1.	श्री पदम कुमार	540, दिनांक 10-8-10	श्री पदम कुमार द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित जन्म तिथि 22-6-51 के स्थान पर वास्तविक जन्म तिथि 25-6-51 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेखों के आधार पर श्री पदम कुमार की जन्म तिथि 25-6-51 अंकित कर दी गयी है।

6- अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त 01 आपत्ति का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य-कर के पदों की अंतिम ज्येष्ठता सूची संलग्न विवरण के अनुसार (ज्येष्ठता क्रमांक-1 से 22 तक) एतद्वारा निर्गत की जाती है।
संलग्नक-यथोपरि

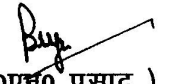
दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या:-सं०वि०क०नि०-1-2080(1)/11-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्य-कर, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,


(एस०एम० प्रसाद)
विशेष सचिव।

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-सं०वि०क०नि०-1- 2080/11-2010-160/2010, दिनांक-21-अक्टूबर, 2010 का संलग्नक

चयन वर्ष 2009-10 को इकाई मानते हुए एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर की पारिणामिक ज्येष्ठता सूची

क्र०सं०	पुरानी ज्येष्ठता क्रमांक / पारिणामिक ज्येष्ठता क्रमांक	बैच	नाम पदनाम / जन्म तिथि / गृह जनपद	एडीशन कमिश्नर के पद पर पदोन्नत तिथि	अन्य
1	2	3	4	5	6
01	365	सीधी-74	सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद 02-07-1951/ लखनऊ	28-01-2009	
02	535	सीधी-75	ईश्वरी प्रसाद, अनु०जाति 08-12-52 / बांदा	28-01-2009	
03	369	सीधी-74	उमेश चन्द्र दीक्षित 01-01-1953/ फर्रुखाबाद	03-02-2009	
04	537	सीधी-75	कामता प्रसाद, अनु०जाति 06-01-1952/ आजमगढ़	03-02-2009	
05	375	सीधी-74	निर्मल चन्द्र पाण्डेय 21-08-1952 / लखनऊ	26-06-2009	
06	377	सीधी-74	राजेश्वर शुक्ला 05-01-1952/ हरदोई	26-06-2009	
07	381	सीधी-74	श्रीप्रकाश चौधरी 15-12-1949 / बस्ती	06-07-2009	से०नि० 31-12-2009
07	341	सीधी-74	राजेन्द्र कुमार 01-07-50, इटावा	14-06-2010	से०नि०- 30-06-2010
08	379	सीधी-74	विजय नारायण गुप्ता 25-12-52/झांसी	14-06-2010	
09	391	सीधी-74	उपेन्द्र सिंह 10-5-52/फैजाबाद	14-06-2010	
10	399	सीधी-74	रवीन्द्र नारायण दुबे 1-12-52/वाराणसी	14-06-2010	
11	401	सीधी-74	हृदय नारायण राव 1-1-54/देवरिया	14-06-2010	
12	402	सीधी-74	राजेन्द्र नाथ पाण्डे, 2-1-51/इटावा	14-06-2010	

(एस० प्रसाद)

उत्तर प्रदेश शासन।

13	405	सीधी-74	सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव 1-12-50/हरदोई	14-06-2010	
14	406	सीधी-74	जर्नादन दुबे 9-9-53/जौनपुर	14-06-2010	
15	407	सीधी-74	दिनेश कुमार माथुर 21-6-51/इलाहाबाद	14-06-2010	
16	410	सीधी-74	सुरेश चन्द्र अग्रवाल 5-12-51/फर्रुखाबाद	14-06-2010	
17	413	सीधी-74	इन्द्रेण भूषण 1-8-51/लखनऊ	14-06-2010	
18	414	सीधी-74	अमरेन्द्र नाथ 18-12-52/लखनऊ	14-06-2010	
19	421	सीधी-74	सूर्यदेव द्विवेदी 20-10-52/सुल्तानपुर	15-12-2005	
20	585	सीधी-76	विनोद कुमार , अनु0 1-7-55/इलाहाबाद	14-06-2010	
21	431	सीधी-74	पदमकुमार 25-06-1951/ मुजफ्फरनगर	30-06-2010	
22	588	सीधी-76	चन्द्रबली अनु0 जाति 06-10-1953/ फैजाबाद	30-06-2010	

[Signature]

(एस० पी० प्रसाद)
 जिला अधिकारी,
 जिला प्रशासन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

पृ०पत्र संख्या-स्था०-१-पारिणामिक ज्येष्ठता सूची-२०१०-११-(एडी०कमि०ग्रेड-१) २२५ /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: २६ अक्टूबर, २०१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,कर एवं निबन्धन अनुभाग-१,सचिवालय,लखनऊ ।
- २- एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश/एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर, मुख्यालय/ एडीशनल कमिश्नर(३०न्या०कार्य)वाणिज्य कर,इलाहाबाद ।
- ३- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
- ४- अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान,वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- ५- संयुक्त निदेशक,राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना,३०प्र०शासन,लखनऊ ।
- ६- डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर(आई०टी०)वाणिज्य कर,मुख्यालय को विभागीय वेवसाईट हेतु ।


(जी०एस०बुधियाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।